

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया(म.प्र.)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक 36 / दो-12-2 / 09

उमरिया, दिनांक 27/06/2020

विषय :- न्यायालयों की लिमिटेड फंक्शनिंग (Limited Functioning) की अवधि 29 जून से 04 जुलाई, 2020 तक वृद्धि करने बावत।

संदर्भ :- रजिस्ट्री जबलपुर का परिपत्र क्र. डी/2377 दिनांक 27.06.2020

—00—

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर संदर्भित परिपत्र के अनुसार समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के लिए Limited Functioning की अवधि 29 जून से 04 जुलाई, 2020 तक के लिए वृद्धि कर दी गई है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्र. क्यू-5 दिनांक 25.03.2020, क्यू-12 दिनांक 04.05.2020 एवं क्र. सी/1455 दिनांक 19.06.2020 के आलोक में दिये गये निर्देशानुसार कार्य निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस न्यायिक जिला स्थापना उमरिया के कार्यालयीन परिपत्र क्र. क्यू/दो-12-2/09 दिनांक 04.05.2020 एवं विविध आदेश क्र. 20 दिनांक 30.05.2020 के द्वारा सीमित न्यायालयीन कार्य निष्पादित करने हेतु विस्तृत आदेश पूर्व में पारित किये जा चुके हैं, इसलिए उक्त आदेशों में दिये गये दिशा निर्देशों को भी आगामी अवधि दिनांक 29.06.2020 से 04.07.2020 तक लागू किया जाता है, इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी ज्ञापन, परिपत्र एवं विविध आदेशों में दिये गये निर्देशों के आलोक में ही न्यायालयीन कार्य संपादित किये जायेंगे।

संदर्भित पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि कोई न्यायालय परिसर का क्षेत्र कंटोन्मेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वह न्यायालय परिसर कंटोन्मेंट मुक्त होने तक बंद रहेगा और उस न्यायालय के अति आवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार संबंधित न्यायाधीश द्वारा अपने घर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीके से सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि न्यायाधीश का घर कंटोन्मेंट क्षेत्र में आता है तो वह न्यायाधीश न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, जब तक कि वह क्षेत्र कंटोन्मेंट से मुक्त नहीं हो जाता है।

अतः न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

संलग्न :- रजिस्ट्री जबलपुर का परिपत्र

क्र. डी/2377 दिनांक 27.06.2020

Sd/-
(ए.के. भाटिया)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)

पृष्ठा क्रमांक 813 / दो-12-2 / 09

उमरिया, दिनांक 27/06/2020

प्रतिलिपि:-

- 1 श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- 2 समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला उमरिया
- 3 समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला उमरिया
- 4 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उमरिया
- 5 प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया
- 6 अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उमरिया/मानपुर/बिरसिंहपुर पाली।
- 7 कलेक्टर, जिला उमरिया
- 8 पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया
- 9 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया
- 10 लोक अभियोजक, उमरिया
- 11 जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उमरिया
- 12 जेल अधीक्षक, जिला जेल, उमरिया
- 13 जिला जनसंपर्क अधिकारी, उमरिया
- 14 प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर, जिला न्यायालय, उमरिया
- 15 सिस्टम आफिसर/आई.टी. अस्सिस्टेंट/डी.एस.ए., जिला न्यायालय, उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sd/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म०प्र०)



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No..D/2377

Jabalpur, dated 27.June, 2020

Sub: Extension of operation of Circular No. Q-5 dated 25.03.2020, Q/12 dated 04.05.2020, C/1455 dated 19th June, 2020 & other circulars and clarifications issued in this regard.

Ref: Circular No. Q/12 dated 04.05.2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur (copy enclosed).

Earlier in pursuance to the public declaration by Hon'ble The Prime Minister of India on 24th March 2020, the lock down started and from time to time, it was extended. In this regard, previously the Circular No. Q-5 dated 25.03.2020 was issued and only urgent work in subordinate courts was started thereafter through various orders, circulars, clarifications restricted functioning of the High Court and its Registry as well as of the Subordinate Courts was started from 4th May, 2020 and that is continuing till 27th June, 2020.

To avoid any possibility of spreading Corona cases in or all surrounding areas of court campus/residence of Judicial Officers, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct as under:-

- (i) The limited functioning as per Circular no. Q-12 dated 4th May, 2020 of the High Court as well as Subordinate Courts will continue from 29th June, 2020 till 4th July, 2020.
- (ii) The District Court Bhopal and Ujjain will start limited functioning as per circular dated Q/12, dated 4th May, 2020, Circular no. A/1214 dated 5th June, 2020 and other circulars issued from time to time.
- (iii) In the District Court Indore only urgent matters will be heard.

By Order of Hon'ble The Chief Justice,


(Rajendra Kumar Vani)
Registrar General

Acup
Q/12
27/6/20